



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-06082026-275252
CG-TL-E-06082026-275252

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4168]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 6, 2026/श्रावण 15, 1948

No. 4168]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 2026/SHRAVAN 15, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

शुद्धिपत्र

सिकंदराबाद, 3 अगस्त, 2026

का.आ. 4344(अ).— भारत सरकार के रेल मंत्रालय की उस अधिसूचना में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में धारा 20ए की उपधारा (1) के अंतर्गत 19 मई 2025 को प्रकाशित दिनांक 13 मई 2025 की का.आ.2204(ई) की अधिसूचना में तथा रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20-ई की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में दिनांक 13 सितम्बर 2025 को प्रकाशित 8 सितंबर 2025 की का.आ. 4101(ई) की अधिसूचना में, तेलंगाना राज्य के नलगोंडा जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् "गुंटूर और बीबीनगर स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन का दोहरीकरण" के निष्पादन के लिए भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी और जबकि उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20-ए की उपधारा (4) तथा धारा 20-एफ की उपधारा (4) के अंतर्गत क्रमशः 14 जुलाई 2025 और 20 अक्तूबर 2025, दोनों तारीखों को "द हंस इंडिया (अंग्रेज़ी)" तथा "वेलुगु (तेलुगु)" में प्रकाशित किया गया है ;

रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20-ई की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

दिनांक 19 मई 2025 को प्रकाशित दिनांक 13 मई 2025 की का.आ.2204(ई) की अधिसूचना की अनुसूची में :

(क) 5वें स्तंभ में सर्वेक्षण संख्या से संबंधित क्रमांक 34 के सामने, प्रविष्टि "552" के स्थान पर "550" प्रतिस्थापित की जाएगी.

(ख) 5वें स्तंभ में सर्वेक्षण संख्या से संबंधित क्रमांक 75 के सामने, प्रविष्टि "891" के स्थान पर "898" प्रतिस्थापित की जाएगी.

दिनांक 13 सितम्बर 2025 को प्रकाशित दिनांक 8 सितम्बर 2025 की का.आ.4101(ई) की अधिसूचना की अनुसूची में :

(ग) 2वें स्तंभ में सर्वेक्षण संख्या से संबंधित क्रम संख्या 61 के सामने, प्रविष्टि "552" के स्थान पर 550 प्रतिस्थापित की जाएगी.

(घ) दूसरे स्तंभ में सर्वेक्षण संख्या से संबंधित क्रमांक 125, 126, 127 के सामने, प्रविष्टि "891" के स्थान पर "898" प्रतिस्थापित की जाएगी.

[फा. सं. W.Con.182/SRP-03/GNT-BN/23-24/244/Corri/030826]

बी.कृष्णा रेड्डी, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-III

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railway)

CORRIGENDUM

Secunderabad, the 3rd August, 2026

S.O. 4344(E).— In notification of the Government of India in the Ministry of Railways, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii) issued under sub-section (1) of section 20A on 19 May 2025 vide S.O. 2204(E) dated 13 May 2025 and in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 20-E of the Railways Act, 1989 published on 13 Sept 2025 vide S.O. 4101(E) dated 8 Sept 2025, regarding land acquisition for the execution of the Special Railway Project namely "Doubling of Railway line between Guntur and Bibinagar Stations" in the district of Nalgonda in the State of Telangana. And whereas the substance of the said notification have been published in "**The Hans India (English)**" and "**Velugu (Telugu)**" both dated 14th July 2025 and 20th October 2025 under sub-section (4) of section 20-A and under sub-section (4) of section 20-F of the said Act;

In exercise of powers conferred under sub-section (1) of section 20-E and under sub-section (1) of section 20-E of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following amendments namely:-

In the Schedule to the Notification **published on 19 May 2025 vide S.O. 2204(E) dated 13 May 2025.**

- (a) Against serial No.34, relating to Sy.No.in the 5th column, the entry "552" shall be substituted by 550.
- (b) Against serial No.75, relating to Sy.No.in the 5th column, the entry "891" shall be substituted by 898.

In the Schedule to the Notification **published on 13 Sept 2025 vide S.O. 4101(E) dated 8 Sept 2025**

- (c) Against serial No.61, relating to Sy.No.in the 2nd column, the entry "552" shall be substituted by 550.
- (d) Against serial No.125, 126, 127, relating to Sy.No.in the 2nd column, the entry "891" shall be substituted by 898.

[F. No. W.Con.182/SRP-03/GNT-BN/23-24/244/Corri/030826]

B. KRISHNA REDDY, Chief Engineer/Con-III